कार्यालय वन संरक्षक, नर्मदापुरम वृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.

एन.एम.व्ही. कॉलेज के सामने, नर्मदापुरम (म.प्र.)-४६१००१

E-Mail : ccf.hbd@mp.gov.in **(07574) 252521**

क्रमांक/मा.चि./२०२२/ 6578 नर्मदापुरम, दिनांक 07 नवम्बर २०२२

प्रति,

वनमण्डलधिकारी,
(सामान्य) वनमण्डल
नर्मदापुरम/हरदा

विषय :- जिला होशंगाबाद, हरदा एवं बैतूल के अंतर्गत मोरण्ड गंजाल संयुक्त परियोजना के निर्माण में 2371.14 हेक्टेयर वन भूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/माचि/10566 नर्मदापुरम, दिनांक 27/09/2022 एवं पत्र क्रमांक/माचि/5081 हरदा, दिनांक 27/09/2022

--//--

उपरोक्त विषयांतर्गत आवेदक संस्था नर्मदा घाटी विकास विभाग, नर्मदा भवन, म.प्र., भोपाल द्वारा सिचाई परियोजना हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् नर्मदापुरम (सामान्य) वनमंडल के अंतर्गत 1230.170 हेक्टेयर एवं हरदा (सामान्य) वनमंडल के अंतर्गत 873.840 हेक्टेयर इस प्रकार नर्मदापुरम वृत्त अंतर्गत **कुल 2104.010 हेक्टेयर** वनभूमि उपयोग पर लिये जाने हेतु ऑनलाईन भाग-I की पूर्ति कर, प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। प्रकरण में आपके संदर्भित पत्रों के माध्यम से ऑनलाईन भाग-II की पूर्ति कर प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, जिनका परीक्षण करने पर निम्नालिखित कमियां परिलक्षित हुई हैं :-

१.प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित होने वाली वनभूमि (नर्मदानुरम सा. 1230.17 + हरदा सा. 873.84 हे. कुल **2104.01 हे.**) के विरूद्व क्षतिपूर्ति वनीकरण के तहत्, दोगुना क्षेत्र में वृक्षारोपण योजना तैयार कर, पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड नहीं किये गये हैं। अपलोड करावे।

२.हरदा सा. वनमंडल अंतर्गत प्रकरण से संबंधित ऑनलाईन भाग-II में प्रश्नांकित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप **संरक्षित वन** उल्लेखित किया गया हैं, जबकि हरदा वनमण्डल अंतर्गत प्रभावित होने वाली वनभूमि का वैधानिक स्वरूप **आरक्षित वन** का हैं। इस संबंध में आवश्यक संशोधन किया जावे।

३.वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम एवं हरदा अंतर्गत प्रस्तावित वनक्षेत्र में आवेदक संस्था द्वारा वन विभाग के साथ वृक्षों की गणना किये जाने हेतु संयुक्त सर्वे नहीं किया गया हैं तथा प्रस्तावित क्षेत्र में HFL (Highest Flood Level) की मार्किंग भी नहीं की गई हैं। उक्त कार्यवाही पूर्ण करावे।

४.प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अन्यत्र गैर-वनभूमि (राजस्व भूमि) उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपलब्ध करावे।

५.योजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची एवं गणना पत्रक दोनों अप्राप्त हैं। इस संबंध में संयुक्त सर्वेक्षण कार्य कराया जाकर खडे वृक्षों का गणना पत्रक वनमण्डल कार्यालय में सुरक्षित रखें एवं छायाप्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करावे।

६.प्रस्तावित परियोजना में, ईको सेंसटिव जोन/संरक्षित क्षेत्र/सतपुडा-मेलघाट टाइगर कॉरीडोर का कितना भाग शामिल हैं। सतपुडा-मेलघाट टाइगर कॉरीडोर से, प्रस्तावित क्षेत्र की दूरी कि.मी. में कितनी हैं। जानकारी उपलब्ध करावे।

७.वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल नर्मदापुरम के स्थल निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र का डिमार्केशन नहीं हुआ हैं। अतः आपके वनमण्डल (नर्मदापुरम एवं हरदा) के डिमार्केशन रिपोर्ट उपलब्ध करावे।

८.वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल नर्मदापुरम के निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित वनक्षेत्र के कुछ भाग में Tiger, Panther, Leopard, Blue Bull, Deer, Jackal, Hynas, Barking Deer, Rabbit आदि का रहवास स्थान बताया गया हैं। इस संबंध वनक्षेत्र का विवरण जहां वन्यजीवों का रहवास स्थल हैं, उपलब्ध करावे।

९. परियोजना से प्रभावित होने वाला वनक्षेत्र का क्षेत्रफल- परिक्षेत्रवार, कक्षवार उपलब्ध करावे।

2- परियोजना प्रशासक, मोरण्ड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यु.) सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम म.प्र., द्वारा उनके पत्र क्रमांक/1126 दिनांक 23/09/2022 के माध्यम से प्रस्तावित वनक्षेत्र में **पुन: वनभूमि का सर्वेक्षण, मार्किंग एवं बाउंड्री स्टोन लगाये जाने हेतु** प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र., भोपाल से अनुरोध किया था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र., भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-3/16/2018/10-11/3300 दिनांक 23/09/2022 के पालन में आपके पत्र क्रमांक/मा.चि./10636 नर्मदापुरम, दिनांक 28/09/2022 एवं पत्र क्रमांक/मा.चि./5349 हरदा, दिनांक 12/10/2022 द्वारा आवेदक संस्था को मार्किंग कार्य किये जाने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई हैं।

इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा **वनभूमि का सर्वेक्षण, मार्किंग एवं बाउंड्री स्टोन लगाये जाने का कार्य पूर्ण होने उपरान्त** प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे।

उपरोक्त अनुसार आपत्तियों की बिन्दुवार पूर्ति किया जाकर संशोधित प्रस्ताव तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जावे।

(एस.के.एस. तिवारी)
वन संरक्षक
नर्मदापुरम वृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.

02/11/22